SKU JOURNAL OF LEX VIBRENT
(NATIONAL PEER REVIEWED E-RESEARCH JOURNAL)
Impact Factor – SJIF 2025 = 5.071
July–September 2026
E-ISSN 3048-7323
Vol-3
Issue-3

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति का विधिक एवं अनुभवजन्य अध्ययन : छतरपुर जिला (मध्य प्रदेश) के विशेष संदर्भ में

माधव शरण पाठक
सहायक प्राध्यापक, (विधि विभाग)
श्री कृष्णा विश्वविद्यालय, छतरपुर (म. प्र.)

सार

भारतीय संविधान सामाजिक न्याय, समानता तथा मानव गरिमा के सिद्धांतों पर आधारित है। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध ऐतिहासिक रूप से होने वाले सामाजिक भेदभाव, उत्पीड़न एवं अत्याचारों को रोकने के उद्देश्य से संसद ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 अधिनियमित किया। इस अधिनियम का उद्देश्य केवल अपराधों को दंडित करना ही नहीं, बल्कि पीड़ितों को सुरक्षा, त्वरित न्याय, पुनर्वास तथा सामाजिक सम्मान प्रदान करना भी है। समय-समय पर किए गए संशोधनों, विशेषकर वर्ष 2015 एवं 2018 के संशोधनों ने अधिनियम को और अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत शोध-पत्र का उद्देश्य छतरपुर जिला (मध्य प्रदेश) के विशेष संदर्भ में इस अधिनियम के अंतर्गत दर्ज एवं निर्णीत प्रकरणों में दोषसिद्धि (Conviction) एवं दोषमुक्ति (Acquittal) की प्रवृत्तियों का विधिक एवं अनुभवजन्य विश्लेषण करना है। शोध में यह परीक्षण किया जाएगा कि न्यायालयों द्वारा दोषसिद्धि अथवा दोषमुक्ति के लिए किन विधिक, तथ्यात्मक एवं प्रक्रियात्मक आधारों को अपनाया जाता है। साथ ही पुलिस विवेचना, अभियोजन की गुणवत्ता, साक्ष्यों की विश्वसनीयता, गवाहों के व्यवहार, चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक साक्ष्य तथा न्यायिक दृष्टिकोण का समग्र मूल्यांकन किया जाएगा।

यह अध्ययन doctrinal एवं empirical दोनों प्रकार की अनुसंधान पद्धतियों पर आधारित है। प्राथमिक स्रोतों में न्यायालयीन निर्णय, अधिनियम, नियम तथा न्यायिक अभिलेख तथा द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकें, शोध-पत्र, विधिक पत्रिकाएँ एवं सरकारी प्रतिवेदन सम्मिलित होंगे।

अध्ययन के निष्कर्ष विधि-निर्माताओं, न्यायपालिका, अभियोजन तंत्र तथा अनुसंधानकर्ताओं के लिए उपयोगी सिद्ध होंगे तथा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करेंगे।

मुख्य शब्द

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अत्याचार निवारण अधिनियम, 1989, दोषसिद्धि, दोषमुक्ति, विशेष न्यायालय, छतरपुर जिला, सामाजिक न्याय, अभियोजन, पुलिस विवेचना, साक्ष्य, मानवाधिकार, आपराधिक न्याय प्रणाली।

परिचय

भारतीय संविधान का मूल उद्देश्य प्रत्येक नागरिक को समानता, स्वतंत्रता, न्याय एवं गरिमा प्रदान करना है। इसके बावजूद भारतीय समाज में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध लंबे समय से सामाजिक बहिष्कार, अस्पृश्यता, हिंसा तथा आर्थिक शोषण जैसी समस्याएँ विद्यमान रही हैं। इन समुदायों की सुरक्षा के लिए संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 तथा 46 में विशेष प्रावधान किए गए हैं। अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया तथा राज्य को कमजोर वर्गों के संरक्षण का दायित्व सौंपा गया।

इन संवैधानिक उद्देश्यों को प्रभावी बनाने के लिए संसद ने वर्ष 1989 में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम (अत्याचार निवारण) पारित किया। यह अधिनियम सामान्य आपराधिक कानून से भिन्न है क्योंकि इसका उद्देश्य केवल अपराधों को दंडित करना नहीं, बल्कि सामाजिक न्याय सुनिश्चित करना, भयमुक्त वातावरण प्रदान करना तथा पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा करना है। अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालयों की स्थापना, विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति, पीड़ितों के पुनर्वास, आर्थिक सहायता तथा त्वरित विचारण की व्यवस्था की गई है।यद्यपि अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष बड़ी संख्या में प्रकरण दर्ज किए जाते हैं, तथापि अनेक मामलों में अभियुक्त दोषमुक्त हो जाते हैं। दोषमुक्ति के पीछे विभिन्न कारण हो सकते हैं, जैसे–दोषपूर्ण विवेचना, साक्ष्यों का अभाव, गवाहों का शत्रुतापूर्ण हो जाना,

अभियोजन की कमियाँ अथवा संदेह का लाभ। दूसरी ओर, जहाँ दोषसिद्धि होती है वहाँ प्रभावी विवेचना, विश्वसनीय साक्ष्य एवं सुदृढ़ अभियोजन की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।

मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से संबंधित प्रकरणों की संख्या उल्लेखनीय है। अतः इस जिले के विशेष न्यायालयों द्वारा पारित निर्णयों का अध्ययन यह समझने में सहायक होगा कि अधिनियम का वास्तविक क्रियान्वयन किस प्रकार हो रहा है तथा दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं। यह शोध न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करते हुए विधिक सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देने का प्रयास करेगा।

साहित्य समीक्षा

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अधिनियम (अत्याचार निवारण), 1989 पर अनेक विधि विशेषज्ञों, शोधकर्ताओं तथा सरकारी संस्थाओं द्वारा अध्ययन किए गए हैं। उपलब्ध साहित्य से स्पष्ट होता है कि अधिनियम सामाजिक न्याय की दिशा में एक महत्वपूर्ण विधिक साधन है, किन्तु इसके प्रभावी क्रियान्वयन में अनेक व्यावहारिक चुनौतियाँ विद्यमान हैं।

एम. पी. जैन ने भारतीय संविधान में समानता एवं सामाजिक न्याय की अवधारणा का विस्तृत विश्लेषण करते हुए अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के संवैधानिक संरक्षण को लोकतांत्रिक व्यवस्था की अनिवार्य आवश्यकता बताया है। के. डी. गौर ने आपराधिक न्याय प्रणाली में साक्ष्य, विवेचना एवं अभियोजन की गुणवत्ता को दोषसिद्धि का प्रमुख आधार माना है। पी. एस. ए. पिल्लई ने आपराधिक विधि के सिद्धांतों का विश्लेषण करते हुए यह स्पष्ट किया है कि अभियोजन को प्रत्येक आवश्यक तत्व संदेह से परे सिद्ध करना होता है।

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की वार्षिक रिपोर्टें अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों की प्रवृत्ति, आरोप-पत्र, विचारण तथा दोषसिद्धि दर का सांख्यिकीय विवरण प्रस्तुत करती हैं। इन रिपोर्टों से यह संकेत मिलता है कि अनेक राज्यों में प्रकरणों के लंबित रहने तथा दोषसिद्धि दर अपेक्षाकृत कम होने की समस्या बनी हुई है।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की वार्षिक रिपोर्टों में अधिनियम के क्रियान्वयन से संबंधित प्रशासनिक एवं न्यायिक कमियों का उल्लेख किया गया है। अनेक शोध-पत्रों में यह निष्कर्ष निकाला गया है कि पुलिस विवेचना की गुणवत्ता, गवाहों की सुरक्षा, अभियोजन की तैयारी तथा न्यायिक प्रक्रिया की गति दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है।

उपलब्ध साहित्य अधिनियम की सामान्य समीक्षा अवश्य प्रस्तुत करता है, किन्तु किसी विशिष्ट जिले, विशेषकर छतरपुर जिला (मध्य प्रदेश) के विशेष न्यायालयों में दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति के कारणों का विस्तृत अनुभवजन्य अध्ययन सीमित है। यही शोध-अंतर (Research Gap) प्रस्तुत अध्ययन की आवश्यकता एवं प्रासंगिकता को सिद्ध करता है।

अनुसंधान समस्या

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों को रोकना तथा पीड़ितों को प्रभावी न्याय उपलब्ध कराना है। इसके बावजूद अनेक मामलों में अभियुक्त दोषमुक्त हो जाते हैं, जिससे अधिनियम की प्रभावशीलता पर प्रश्न उठते हैं। दोषमुक्ति के पीछे पुलिस विवेचना में त्रुटियाँ, साक्ष्यों का अभाव, गवाहों के शत्रुतापूर्ण हो जाने, अभियोजन की कमजोरी, प्रक्रियात्मक कमियाँ अथवा अन्य न्यायिक कारण उत्तरदायी हो सकते हैं।

छतरपुर जिले के विशेष न्यायालयों में इन कारणों का व्यवस्थित विधिक एवं अनुभवजन्य विश्लेषण उपलब्ध नहीं है। अतः यह शोध इस समस्या का अध्ययन करेगा कि दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख विधिक एवं व्यावहारिक कारक कौन-कौन से हैं तथा अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु किन सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता है।

अनुसंधान प्रश्न

छतरपुर जिले के विशेष न्यायालयों में SC/ST (अत्याचार निवारण अधिनियम 1989) के अंतर्गत दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति की प्रवृत्ति क्या है?

1. दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख विधिक, तथ्यात्मक एवं प्रक्रियात्मक कारक कौन कौन से हैं-?
2. क्या पुलिस विवेचना एवं अभियोजन की गुणवत्ता दोषसिद्धि दर को प्रभावित करती है?
3. गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने का न्यायिक निर्णयों पर क्या प्रभाव पड़ता है?
4. क्या विशेष न्यायालय अधिनियम के उद्देश्यों एवं संवैधानिक मूल्यों के अनुरूप प्रभावी न्याय प्रदान कर रहे हैं?
5. सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के निर्णयों का विशेष न्यायालयों की कार्यप्रणाली पर क्या प्रभाव पड़ता है?
6. अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन एवं दोषसिद्धि दर में सुधार हेतु कौन्कौन से विधिक एवं प्रशासनिक सुधार अपेक्षित हैं?

उद्देश्य

प्रस्तुत शोध का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत छतरपुर जिला (मध्य प्रदेश) के विशेष संदर्भ में दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति की प्रवृत्तियों का विधिक एवं अनुभवजन्य अध्ययन करना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु निम्नलिखित विशिष्ट उद्देश्यों का निर्धारण किया गया है–

1. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 एवं उसके संशोधनों का विधिक विश्लेषण करना।
2. छतरपुर जिले के विशेष न्यायालय में विचारित एवं निर्णीत प्रकरणों में दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति की स्थिति का अध्ययन करना।
3. दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति को प्रभावित करने वाले प्रमुख विधिक, प्रक्रियात्मक एवं व्यावहारिक कारकों का विश्लेषण करना।
4. पुलिस विवेचना, अभियोजन, साक्ष्य एवं गवाहों की भूमिका का मूल्यांकन करना।
5. सर्वोच्च न्यायालय एवं मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णयों के प्रभाव का अध्ययन करना।

6. अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु आवश्यक विधिक एवं प्रशासनिक सुधारों के सुझाव प्रस्तुत करना।

परिकल्पना

किसी भी अनुभवजन्य शोध में परिकल्पना अनुसंधान को वैज्ञानिक दिशा प्रदान करती है। प्रस्तुत अध्ययन के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाएँ निर्धारित की गई हैं–

शून्य परिकल्पना (H_0):- SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत छतरपुर जिले के विशेष न्यायालयों में दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति का पुलिस विवेचना, अभियोजन की गुणवत्ता, साक्ष्य एवं गवाहों की विश्वसनीयता से कोई महत्वपूर्ण संबंध नहीं है।

वैकल्पिक परिकल्पना (H_1):- SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत छतरपुर जिले के विशेष न्यायालयों में दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति मुख्यतः पुलिस विवेचना की गुणवत्ता, अभियोजन की प्रभावशीलता, साक्ष्यों की पर्याप्तता, गवाहों की विश्वसनीयता तथा न्यायिक व्याख्या से प्रभावित होती है।

अनुसंधान पद्धति

प्रस्तुत शोध विधिक एवं अनुभवजन्य दोनों प्रकार की अनुसंधान पद्धतियों पर आधारित है। विधिक अनुसंधान के अंतर्गत संविधान, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989, अधिनियम के नियम, संबंधित संशोधन, न्यायालयीन निर्णय तथा अन्य विधिक स्रोतों का विश्लेषण किया जाएगा। अनुभवजन्य अध्ययन के अंतर्गत छतरपुर जिले के विशेष न्यायालय में निर्णीत मामलों का परीक्षण किया जाएगा।

अध्ययन में प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्रोतों का उपयोग किया जाएगा। प्राथमिक स्रोतों में न्यायालयीन निर्णय, न्यायालयीन अभिलेख, आरोप-पत्र, प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR), गवाहों के कथन, न्यायालयीन आदेश एवं संबंधित विधिक प्रावधान सम्मिलित होंगे। द्वितीयक स्रोतों में पुस्तकें, शोध-पत्र, विधिक पत्रिकाएँ, सरकारी प्रतिवेदन, राष्ट्रीय अपराध

रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की रिपोर्टें, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की रिपोर्टें सम्मिलित होंगी।

अध्ययन हेतु उद्देश्यपूर्ण नमूना चयन अपनाया जाएगा, जिसके अंतर्गत छतरपुर जिले के विशेष न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि (उदाहरणार्थ 2019-2025) में निर्णीत मामलों का चयन किया जाएगा। संकलित आँकड़ों का विश्लेषण गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों विधियों द्वारा किया जाएगा। दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति के कारणों का तुलनात्मक विश्लेषण कर निष्कर्ष एवं सुझाव प्रस्तुत किए जाएँगे।

अध्ययन क्षेत्र (मध्य प्रदेश राज्य का छतरपुर जिला)

प्रस्तुत शोध का अध्ययन क्षेत्र मध्य प्रदेश राज्य का छतरपुर जिला है, जहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत दर्ज प्रकरणों का विचारण विशेष न्यायालय द्वारा किया जाता है। छतरपुर जिला सामाजिक, आर्थिक एवं भौगोलिक दृष्टि से बुंदेलखंड क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण जिला है, जहाँ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति समुदाय की उल्लेखनीय जनसंख्या निवास करती है।

अध्ययन के अंतर्गत विशेष न्यायालय में निर्णीत प्रकरणों का विश्लेषण कर यह ज्ञात किया जाएगा कि दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति के प्रमुख कारण क्या हैं तथा न्यायालय द्वारा साक्ष्यों, गवाहों, विवेचना एवं अभियोजन का किस प्रकार मूल्यांकन किया गया है। साथ ही यह भी परीक्षण किया जाएगा कि अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप त्वरित एवं प्रभावी न्याय प्रदान करने में विशेष न्यायालय किस सीमा तक सफल रहे हैं।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 का विधिक विश्लेषण

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 भारतीय विधि व्यवस्था का एक विशेष सामाजिक कल्याणकारी कानून है, जिसका उद्देश्य अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के विरुद्ध होने वाले अत्याचारों की रोकथाम, पीड़ितों के अधिकारों का

संरक्षण तथा त्वरित न्याय सुनिश्चित करना है। यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 17, 21 एवं 46 में निहित सामाजिक न्याय की भावना को व्यवहारिक रूप प्रदान करता है।

अधिनियम में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के विरुद्ध किए जाने वाले विशिष्ट अपराधों को परिभाषित किया गया है तथा उनके लिए कठोर दंड का प्रावधान किया गया है। वर्ष 2015 एवं 2018 के संशोधनों द्वारा अपराधों की सूची का विस्तार, पीड़ितों के अधिकारों का सुदृढ़ीकरण, विशेष लोक अभियोजकों की भूमिका तथा त्वरित विचारण संबंधी प्रावधानों को अधिक प्रभावी बनाया गया। साथ ही अग्रिम जमानत के संबंध में विधिक स्थिति को भी स्पष्ट किया गया।

अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विशेष न्यायालयों की स्थापना, विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति, पीड़ितों के पुनर्वास, आर्थिक सहायता, गवाहों की सुरक्षा तथा समयबद्ध विचारण की व्यवस्था की गई है। यद्यपि अधिनियम का उद्देश्य सामाजिक न्याय स्थापित करना है, तथापि इसके प्रभावी क्रियान्वयन की सफलता पुलिस विवेचना, अभियोजन की गुणवत्ता, साक्ष्यों की विश्वसनीयता तथा न्यायिक दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। अतः प्रस्तुत शोध में इन सभी विधिक एवं व्यावहारिक पहलुओं का समग्र विश्लेषण किया जाएगा।

छतरपुर विशेष न्यायालय के मामलों का विश्लेषण

प्रस्तुत अध्ययन में छतरपुर जिले के विशेष न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत निर्णीत मामलों का विधिक एवं अनुभवजन्य विश्लेषण किया जाएगा। विश्लेषण का उद्देश्य यह निर्धारित करना है कि न्यायालय किन परिस्थितियों में अभियुक्तों को दोषसिद्ध अथवा दोषमुक्त घोषित करता है तथा न्यायिक निर्णयों को प्रभावित करने वाले प्रमुख कारक कौन-कौन से हैं।

अध्ययन के दौरान चयनित मामलों में प्राथमिकी, विवेचना, आरोप-पत्र, साक्ष्य, गवाहों के कथन, चिकित्सीय एवं वैज्ञानिक साक्ष्य तथा न्यायालय के अंतिम निर्णय का विश्लेषण किया जाएगा। विशेष रूप से यह परीक्षण किया जाएगा कि दोषसिद्धि वाले मामलों में अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य कितने विश्वसनीय थे तथा दोषमुक्ति वाले मामलों में किन कारणों से

अभियोजन आरोपों को संदेह से परे सिद्ध करने में असफल रहा। इसके अतिरिक्त, गवाहों के शत्रुतापूर्ण होने, विवेचना में त्रुटियों, अभियोजन की कमियों, साक्ष्यों के अभाव, प्रक्रियात्मक त्रुटियों तथा न्यायिक व्याख्या के प्रभाव का भी तुलनात्मक अध्ययन किया जाएगा।

शोध के अंतर्गत प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर दोषसिद्धि एवं दोषमुक्ति की प्रवृत्तियों का विश्लेषण किया जाएगा तथा यह मूल्यांकन किया जाएगा कि विशेष न्यायालय अधिनियम के उद्देश्यों के अनुरूप प्रभावी एवं समयबद्ध न्याय प्रदान करने में किस सीमा तक सफल रहे हैं। यह विश्लेषण भविष्य में अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन, अभियोजन की गुणवत्ता में सुधार तथा न्यायिक प्रक्रिया को अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु उपयोगी आधार प्रदान करेगा।

सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के महत्वपूर्ण निर्णय

SC/ST (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की व्याख्या एवं क्रियान्वयन में सर्वोच्च न्यायालय तथा विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कुछ प्रमुख निर्णय निम्नलिखित हैं।

1. **कर्नाटक राज्य बनाम अप्पा बालू इंगले** - इस निर्णय में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अस्पृश्यता एवं जातिगत भेदभाव संविधान की मूल भावना के विरुद्ध हैं तथा सामाजिक न्याय की स्थापना राज्य का संवैधानिक दायित्व है।
2. **विलास पांडुरंग पवार बनाम महाराष्ट्र राज्य** - न्यायालय ने कहा कि यदि प्रथम दृष्टया SC/ST Act का अपराध बनता है, तो अग्रिम जमानत के संबंध में अधिनियम के विशेष प्रावधानों का पालन आवश्यक होगा।
3. **सुभाष काशीनाथ महाजन बनाम महाराष्ट्र राज्य** - इस निर्णय में गिरफ्तारी से पूर्व कुछ सुरक्षा उपाय निर्धारित किए गए थे, जिनके संबंध में बाद में विधायी संशोधन किया गया।
4. **पृथ्वी राज चौहान बनाम भारत संघ** - सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 के संशोधन की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि जहाँ प्रथम दृष्टया मामला बनता है, वहाँ अधिनियम के प्रावधान प्रभावी रहेंगे।

5. **हितेश वर्मा बनाम उत्तराखंड राज्य** - न्यायालय ने कहा कि प्रत्येक विवाद स्वतः SC/ST Act के अंतर्गत नहीं आएगा; अभियोजन को यह सिद्ध करना होगा कि कथित कृत्य पीड़ित की अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति की पहचान के कारण किया गया था।
6. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने भी विभिन्न निर्णयों में यह प्रतिपादित किया है कि अधिनियम के प्रावधानों का कठोरता से पालन करते हुए भी अभियोजन को प्रत्येक आवश्यक तत्व को विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा सिद्ध करना होगा। न्यायालय ने विवेचना की निष्पक्षता, साक्ष्य की गुणवत्ता तथा पीड़ित के अधिकारों के संरक्षण पर विशेष बल दिया है।

इन निर्णयों से स्पष्ट होता है कि न्यायालय एक ओर सामाजिक न्याय की संवैधानिक भावना की रक्षा करते हैं, वहीं दूसरी ओर अभियुक्त के निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार एवं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का भी समान रूप से पालन सुनिश्चित करते हैं।

निष्कर्ष

प्रस्तुत अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए एक महत्वपूर्ण विधिक साधन है। अधिनियम ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के सदस्यों को विशेष संरक्षण प्रदान करते हुए त्वरित न्याय, विशेष न्यायालय, विशेष लोक अभियोजक तथा पुनर्वास संबंधी प्रावधान उपलब्ध कराए हैं। तथापि अधिनियम की प्रभावशीलता केवल कठोर कानूनी प्रावधानों पर निर्भर नहीं करती, बल्कि पुलिस विवेचना, अभियोजन की गुणवत्ता, गवाहों की सुरक्षा तथा न्यायिक प्रक्रिया की दक्षता पर भी निर्भर करती है।

छतरपुर जिले के विशेष न्यायालयों के अध्ययन से यह अपेक्षित है कि जहाँ विवेचना निष्पक्ष एवं वैज्ञानिक रही, साक्ष्य पर्याप्त एवं विश्वसनीय रहे तथा अभियोजन प्रभावी रहा, वहाँ दोषसिद्धि की संभावना अधिक रही। इसके विपरीत जहाँ गवाह शत्रुतापूर्ण हो गए, विवेचना में त्रुटियाँ रहीं अथवा अभियोजन आरोपों को संदेह से परे सिद्ध नहीं कर पाया, वहाँ दोषमुक्ति की

स्थिति उत्पन्न हुई। अतः अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए न्यायिक प्रक्रिया के प्रत्येक चरण को सुदृढ़ बनाना आवश्यक है।

References (Bluebook / ILI Style)

A. Statutes

1. The Constitution of India.
2. The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989.
3. The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Rules, 1995.
4. The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2015.
5. The Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Amendment Act, 2018.
6. The Bharatiya Nyaya Sanhita, 2023.
7. The Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023.
8. The Bharatiya Sakshya Adhiniyam, 2023.

B. Books

1. Jain M.P, *Indian Constitutional Law* (8th ed., LexisNexis).
2. Gaur, K.D. *Textbook on Indian Penal Law* (Universal Law Publishing).
3. P.S.A. Pillai, *Criminal Law* (LexisNexis).
4. Shukla,V.N. *Constitution of India* (Eastern Book Company).

C. Reports

1. National Crime Records Bureau, *Crime in India* (विभिन्न वर्ष.(
2. National Commission for Scheduled Castes, *Annual Reports*.
3. National Commission for Scheduled Tribes, *Annual Reports*.
4. Law Commission of India, संबंधित प्रतिवेदन.

D. Cases

- State of Karnataka v. Appa Balu Ingale
- Vilas Pandurang Pawar v. State of Maharashtra
- Subhash Kashinath Mahajan v. State of Maharashtra
- Prathvi Raj Chauhan v. Union of India
- Hitesh Verma v. State of Uttarakhand